शैक्षिक नीतियाँ और अभ्यास | एक महत्त्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य

डॉ. सास्वती पाइक

यह सच है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। सीखना किसी भी स्थान पर और किसी भी समय हो सकता है। कई कारणों से बच्चों के सीखने के अवसर भिन्न होते हैं। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ बच्चों को अधिगम के लिए सभी आधुनिक साधन उपलब्ध होते हैं और वे ऐसे स्कूलों में जा सकते हैं जो दिलचस्प तरीक़े से सिखाते हैं। लेकिन ऐसे स्थान भी हैं जहाँ बच्चों को परिस्थितियों की वजह से इस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है, ऐसे कई बच्चे पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। उनके लिए स्कूल, कई मायनों में, सीखने में वाकई एक बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा ही एक क्षेत्र है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले का शिव ब्लॉक, जहाँ तीन वर्षों तक एक शोध अध्ययन किया गया है। यह लेख मुख्य रूप से उस शोध पर आधारित है और निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डालता है :

- परिस्थिति से जुड़े वे मुद्दे जो उस स्थान में बच्चों के अधिगम में अवरोध पैदा करते हैं, जहाँ निरक्षरता और सामाजिक विकास के मापदण्डों की स्थिति चिन्ताजनक है।
- वे प्रणालीगत मुद्दे जो उन बच्चों के लिए एक बड़ी बाधा हैं जो सीखने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिलता और परिणामस्वरूप वे आने वाले कई दशकों तक पिछड़े ही रह जाते हैं।
- ऐसे बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए सरकार और/या अन्य एजेंसियों द्वारा प्राथमिकता दिए जाने वाले क्षेत्र।

वे परिस्थितियाँ जो बच्चों के सीखने में अवरोध पैदा करती हैं

यदि आप किसी स्कूल का दौरा करते हैं तो प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा एक से आठवीं) में पढ़ने वाले बच्चे आपको कक्षा में 'कुछ' पढ़ाने के लिए कह सकते हैं, बावजूद इसके कि वे आपको नहीं जानते। इस बात का अनुभव मैंने राजस्थान के थार रेगिस्तान के किनारे स्थित शिव ब्लॉक के स्कूलों में बार-बार किया। यह स्कूल दूरदराज़ के गाँवों की बस्तियों (स्थानीय रूप से यह ढाणी के नाम से जानी जाती हैं) में हैं, जहाँ परिवहन और संचार की व्यवस्था ख़राब है, बिजली अक्सर कट जाती है या है ही नहीं, इंटरनेट अभी भी एक सपना है। इसके अलावा कई बच्चों के माता-पिता अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़े-लिखे हैं, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह आम बातें हैं, आँगनवाड़ियाँ शायद ही कार्य करती हैं और कोई पुस्तकालय नहीं है।

ऐसे में यह बच्चे किसी अजनबी से 'कुछ' पढ़ाने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका एक कारण यह है कि ऐसे कई स्कूलों की कक्षाओं में कोई शिक्षक नहीं होता। कभी-कभी तो पूरे दिन कक्षा में कोई शिक्षक नहीं होता है। यदि शिक्षक हों भी तो ज़रूरी नहीं कि स्कूल के घण्टों के दौरान वे केवल पढ़ाते ही हों। वे किसी अन्य कार्य में भी 'व्यस्त' हो सकते हैं। पूरे साल में जब लम्बे समय तक यह स्थिति बनी रहती है तो बच्चों को स्कूल में सीखने का मौक़ा नहीं मिलता है। यदि कोई यह तर्क दे कि सीखना तो कहीं भी हो सकता है तो मैं निश्चित रूप से इससे सहमत हूँ, लेकिन औपचारिक शिक्षा स्थानों में प्रदर्शन (exposure) के माध्यम से सीखना इस स्थान की सन्दर्भ-विशिष्ट सीमाओं के कारण सन्दिग्ध बना हुआ है। घर पर औपचारिक शिक्षा के लिए माता-पिता का समर्थन लगभग शून्य होता है। अक्सर जो कुछ वे सीखते हैं, वह उनके समाज की पितृसत्तात्मक परम्पराओं तथा विश्वास प्रणालियों पर आधारित होता है। यह परम्पराएँ और विश्वास प्रणालियाँ लिंग भेदभाव, बाल विवाह जैसी प्रथाओं को विकसित करती हैं। इस ब्लॉक के अधिकांश गाँवों के लिए निकटतम सरकारी डिग्री कॉलेज पचास किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, इसलिए बारहवीं कक्षा से आगे की शिक्षा अक्सर एक सपना बनकर रह जाती है।

राजस्थान में ज़िलों के मानव विकास सूचकांक (ह्युमन डेवलेपमेंट इंडेक्स – एचडीआई) के अनुसार, बाड़मेर में एचडीआई का मान सबसे कम यानी 0.4035 है जबकि जयपुर के एचडीआई का मान राज्य में सबसे ज़्यादा यानी 0.7308 है (सिंह और केशरी, 2016)। 2011 में बाड़मेर ज़िले में साक्षरता दर 56.5 प्रतिशत थी जबकि राज्य का औसत 66.1 प्रतिशत था। बाड़मेर में साक्षरता दर में लिंग अन्तर 30.3 प्रतिशत था। जैसा कि आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं, 2011 की जनगणना में बाड़मेर में वयस्क निरक्षरों के उच्च प्रतिशत का संकेत दिया गया, जो कि उनके परिवारों में बच्चों के सीखने के लिहाज़ से काफ़ी गम्भीर बात है।

नीतियों में देखे गए व्यवस्थागत मुद्दे

शैक्षिक शासन के तीन मुख्य स्तम्भ हैं : प्रावधान, विनियमन और निधीयन (फंडिंग)। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इसलिए केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को चाहिए कि ऐसे स्तम्भों को बनाए रखें। आइए, हम कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मापदण्डों पर ध्यान दें, जो कि बाड़मेर की तरह ही अन्य दूरस्थ

तालिका 1 : 2011 की जनगणना के अनुसार वयस्क निरक्षरता

क्षेत्र	आयु समूह	कुल	पुरुष	महिला
सभी क्षेत्र	15-34	35.89	18.93	55.83
	35+	70.99	53.91	88.67
ग्रामीण	15-34	37.68	19.88	58.69
	35+	74.23	57.34	91.63
शहरी	15-34	15.27	7.71	23.73
	35+	34.24	15.98	54.10

स्थानों में बच्चों और उनके अधिगम की भारी आवश्यकता को इंगित करते हैं। बाड़मेर का मामला कोई अलग मामला नहीं है। ऐसे स्थान कई राज्यों में हैं जहाँ बच्चे शासन की लापरवाही के शिकार हैं।

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को 1:30 निर्धारित किया है, जो एक गणितीय गणना है। राजस्थान सहित कई राज्यों के शिक्षा विभागों ने सरकारी स्कूलों से सहायक कर्मचारियों को हटा दिया है। इस तरह के फ़ैसलों के बड़े निहितार्थ हैं। यदि एक स्कूल में 30 विद्यार्थी हैं तो स्कूल को केवल एक शिक्षक मिलता है, हालाँकि नामांकन में वृद्धि के साथ, उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के अनुसार शिक्षकों की संख्या बढ़ सकती है। शिव के कई प्राथमिक स्कूलों में एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो शिक्षक हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अक्सर विषय-विशिष्ट शिक्षक नहीं होते हैं। ऐसे स्कूलों के बच्चे सीखने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए वे हर उस अजनबी से पढ़ाने के लिए कहते हैं जो शिक्षित लगता है।

आइए, हम सरकार की दो धारणाओं को देखें :

एक तो यह कि शिक्षक तीस विद्यार्थियों, उनकी स्कूल सम्बन्धी गतिविधियों और विकास का ध्यान रख सकता है। और दूसरा यह कि चूँकि प्राथमिक विद्यालयों में कोई सहायक कर्मचारी नहीं है इसलिए शायद व्यवस्था यह चाहती है कि शिक्षक और विद्यार्थी रखरखाव की पूरी प्रक्रिया की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लें।

यदि हम इन धारणाओं का विश्लेषण करें तो यह अनुचित लगती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं और आपको तीस-चालीस बच्चों को पढ़ाना है जो विभिन्न कक्षाओं में हैं और हर बच्चे पर अलग तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि शिक्षक उनके सीखने को सुगम बनाएँ तो वे सीख सकते हैं। ऐसी हालत में एक एकल शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आपको स्कूल के सभी रिकॉर्डों को बनाए रखना होगा, मिड डे मील का ध्यान रखना होगा और इसके लिए रसोइए के साथ समन्वय करना होगा और इन सबके साथ आपको एक बहुस्तरीय कक्षा को पढ़ाना भी होगा। इन सभी ज़िम्मेदारियों के चलते आप पूरे शैक्षिक वर्ष में क्या कुछ कर पाएँगे?

- यदि हम यह मानते हैं कि यह शिक्षक बहुस्तरीय कक्षा को पढ़ाने के योग्य हैं तो हमें उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्य सम्बन्धी अनुभव को समझना होगा। सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक (कक्षा चौथी तक पढ़ाने वाले) या तो स्नातक होते हैं (हालाँकि यह ज़रूरी नहीं कि उन्हें स्कूल के किसी विषय में विशेषज्ञता भी हासिल हो) या उन्होंने बारहवीं कक्षा के बाद शिक्षण में डिप्लोमा किया होता है। तो क्या वे अन्य प्रशासनिक ज़िम्मेदारियों का ख़याल रखते हुए बहुस्तरीय कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होते हैं?
- जब कोई सहायक स्टाफ़ न हो तो स्कूल परिसर का रखरखाव कौन करेगा? बेशक, शिक्षक और विद्यार्थी। इसका अर्थ है शौचालय, मिड डे मील की जगह, कक्षाओं, खेल के मैदान, शिक्षक के कमरे (यदि हों तो) इन सबका रखरखाव। ऐसी जगह पर अक्सर निचली जाति के बच्चों को सफ़ाई का काम सँभालना पड़ता है। क्या ऐसी अपेक्षाएँ वैध हैं?

माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषय-विशिष्ट शिक्षकों की कमी के अलावा यह सभी मुद्दे भी प्रबल होते हैं।

पता नहीं क्यों इससे यह महसूस होता है कि यह सभी धारणाएँ सरकारी स्कूलों के बारे में विशिष्ट मानसिकता और समझ पर आधारित हैं। इससे कई लोगों को लगता है कि इन स्कूलों में केवल सुविधा वंचित बच्चे ही जाते हैं और इन्हें बेहतर बनाने का कोई भी प्रयास अनावश्यक है। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक स्कूल में (जहाँ असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से आने वाले बच्चे पढ़ते थे) काम करने वाले एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, "मैडम, इन बच्चों को स्कूल जाने और खाना खाने का अवसर मिलता है, तो क्या इतना उनके लिए काफ़ी नहीं है? बदले में वे परिसर और शौचालयों की सफ़ाई क्यों नहीं कर सकते?" मुझसे यह तर्क हज़म नहीं हुआ। क्या शिक्षा के अधिकार के नाम पर बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करने के लिए यह एक वैध कारण है? क्या नीति-निर्माता और उसे लागू करने वाले अपने बच्चों को बिना पर्याप्त शिक्षक और बिना किसी सहायक स्टाफ़ वाले किसी ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहाँ उनके बच्चों को

अपना शौचालय, शिक्षकों का शौचालय, कक्षा, स्कूल परिसर और यहाँ तक कि मिड डे मील के बर्तन भी नियमित रूप से साफ़ करने पड़ें?

कार्यप्रणालियों में देखे गए व्यवस्थागत मुद्दे

हाल ही में (2019-20) समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत एक एकीकृत शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसे 'निष्ठा' (Integrated Teacher Training Programme called, NISHTHA) कहा जाता है। यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर पर अधिगम के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। सरकारी पोर्टल बताता है कि यह 'एकीकृत शिक्षक-प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार' के लिए एक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम है। 'निष्ठा' दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रारम्भिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों में दक्षता का निर्माण करना है। इस विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहन व बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और तैयार करना है। यह अपने आप में इस तरह की प्रथम पहल है जिसमें सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं (www.india.gov.in)।

यह कार्यक्रम निश्चित रूप से शिक्षकों को एक-दूसरे के साथ मिलने-जुलने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान कर सकता है। इसके मॉड्यूल अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं और किए गए प्रयास साफ़ दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को 'अनुकूलित सोपान विधि' से संचालित करने का इरादा है, जिसमें राष्ट्रीय स्रोत समूह के विशेषज्ञ मुख्य स्रोत व्यक्ति (की-रिसोर्स पर्सन्स - केआरपी) को (राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा आगे के शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए पहचाने गए) और राज्य स्रोत व्यक्ति (स्टेट रिसोर्स पर्सन्स – एसआरपी) को (स्कूल के प्रधानाचार्यों और अन्य अधिकारियों के आगे के प्रशिक्षण के लिए राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए) प्रशिक्षित करेंगे। यह केआरपी और एसआरपी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित करेंगे' (itpd.ncert.gov.in)। यह कहा गया है कि इससे प्रक्रिया संचार में होने वाली हानि की मात्रा (जो पहले कई परतें होने के कारण अधिक मात्रा में होती थी) को कम करने में मदद मिलेगी। इन सभी वादों के बावजूद, कुछ मुद्दों को पहचानकर उनको उचित रूप से सम्बोधित करना आवश्यक है। इनपर नीचे चर्चा की गई है।

बड़ी संख्या दर्शाता हुआ बड़े पैमाने का लक्ष्य

सरकारी वेबसाइट का दावा है, 'प्राथमिक स्तर पर काम कर रहे सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, ब्लॉक संसाधन समन्वयकों, संकुल संसाधन समन्वयकों को प्रशिक्षण में समाविष्ट किया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिक्षार्थी केन्द्रित शिक्षण, अधिगम के परिणामों, बच्चों के सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों में सुधार, स्कूल आधारित आकलन, नई पहलों, स्कूल सुरक्षा और विभिन्न विषयों के शिक्षण आदि से सम्बन्धित होगा।

अब तक किए गए वादे के अनुसार 42 लाख शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए इतने सारे क्षेत्रों को कवर करना वास्तव में एक कठिन काम है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो जवाबदेही के ढाँचे में भारी जटिलताओं के कारण उपलब्धि सन्दिग्ध बनी रहती है, कई हितधारकों की भागीदारी के कारण ऐसा और भी अधिक होता है। इसके अलावा, 'सबके लिए एक ही तरीक़ा सही है' वाला दृष्टिकोण समस्यात्मक है। बड़ी संख्या को लक्षित करने की बजाय चरण-दर-चरण जाना बेहतर हो सकता है। इसकी सफलता के लिए सावधानीपूर्वक प्राथमिकता तय करनी होगी। दूरदराज़ की जगहों पर स्थित स्कूलों, जिन्हें शायद ही कभी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate social responsibility - CSR) या ग़ैर-सरकारी संगठनों का समर्थन मिल पाता हो, को इसके लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे स्कूल के शिक्षकों के लिए योजना को अलग तरह से बनाना चाहिए।

इसमें 'आस-पास की परिस्थितियों' की अवधारणा अनुपस्थित है

इस तरह के प्रशिक्षण अक्सर ग़ैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों और शैक्षिक अधिकारियों की सुविधा के अनुसार किसी एक ख़ास स्थान पर आयोजित किए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ शिक्षक स्कूली जीवन की रोज़मर्रा की कठिनाइयों से मिलने वाले इस आराम और राहत का स्वागत करें लेकिन कई, विशेषकर आत्मप्रेरित और वास्तव में प्रतिबद्ध शिक्षक इसे असुविधाजनक पाते हैं। इस तरह के प्रशिक्षणों के कारण शिक्षकगण एक वर्ष में कई हफ़्तों तक अपनी कक्षाओं में जाकर शिक्षण नहीं कर पाते। साथ ही सीखने के लिए उत्सुक बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। प्रशिक्षण के आयोजकों को इस मुद्दे को समझना चाहिए।

'निष्ठा' प्रशिक्षण का एक मॉड्यूल महात्मा गांधी के भाषण को उद्धृत करता है, 'सच्ची शिक्षा आस-पास की परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए...।' इस विचार का अनुसरण करते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्कूलों में ही आयोजित किया जाना चाहिए, जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम के विशेषज्ञ कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शन (डेमो) कक्षाएँ ले सकते हैं। साजो-सामान की बेहतर व्यवस्था के लिए चार या पाँच स्कूलों की पहचान की जा सकती है, और शिक्षक संकुल स्तर के किसी भी एक स्कूल में एक हफ़्ते के लिए एकत्र हो सकते हैं। इस प्रकार प्रशिक्षण का स्थान बारी-बारी से बदला जाएगा और प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक चरण में अपने स्वयं के स्कूल में ही उचित डेमो कक्षाओं के साथ कम से कम एक दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए

कि एकल शिक्षक वाले स्कूलों को एक से अधिक शिक्षक प्रदान किए जाएँ ताकि उस शिक्षक के एक हफ़्ते के लिए प्रशिक्षण में जाने पर भी स्कूल सामान्य रूप से चलता रहे।

यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण का लाभ कक्षाओं तक पहुँचे

'निष्ठा' प्रशिक्षण का लक्ष्य शिक्षकों को चिन्तनशील बनाना है। इसलिए प्रशिक्षकों को मॉड्यूल के हस्तान्तरण के लिए भली प्रकार से लैस करना आवश्यक है। जिन शिक्षकों को कोई शिक्षण अनुभव नहीं है, या बहुत कम अनुभव है उनके लिए यह मॉड्यूल बहुत आसान नहीं हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण विज्ञान के मॉड्यूल से चिन्तन के लिए एक प्रश्न यहाँ प्रस्तुत है :

'एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तकों में दिए गए ऐसे कुछ अभ्यासों की पहचान करें जिनमें शिक्षकों को बच्चों के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करने और मुद्दों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए चर्चा करने के लिए कहा गया है।'

अपेक्षा के अनुसार कक्षा में इसके हस्तान्तरण के लिए शिक्षक को भरपूर तैयारी करनी होगी। यहाँ शिक्षक का करिश्मा बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को स्वत: सीखने का एक नियमित अभ्यास करना चाहिए। तभी इसका लाभ कक्षाओं तक पहुँच सकता है। क्या इसे शिव ब्लॉक जैसे दूरदराज़ के क्षेत्रों वाले स्कूलों में करना सम्भव है जहाँ शिक्षक नियमित रूप से पढ़ाने के अलावा और भी कई चीज़ों के साथ जूझते और उन्हें सँभालते हैं?

प्राथमिकता के लिए सुझाव

अगर देश के विकास के लिए मानव विकास के मापदण्डों को महत्त्वपूर्ण माना जाता है तो बाड़मेर और वहाँ के शिव जैसे ब्लॉक, जो वाकई पिछड़े हुए हैं, पर सन्दर्भ विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विकास परिदृश्य में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से कई दशकों से इन जगहों पर उस तरह का ध्यान दिया ही नहीं गया है। ऐसे सन्दर्भ में, सीखने की आवश्यकता और इच्छा दोनों होने के बावजूद, बच्चे उससे वंचित हैं क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए अवसर और स्थान उपलब्ध ही नहीं कराए गए हैं। इस क्षेत्र, जहाँ बच्चों को दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, के विद्यार्थियों में भारी सम्भावनाएँ हैं। कुछ स्कूलों में बेहद प्रतिबद्ध शिक्षक भी हैं जो सभी बाधाओं के बावजूद अपने सीमित संसाधनों के साथ ही विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। शिक्षकों के बीच में से ऐसे 'उत्साही' शिक्षकों को पहचानना और उन्हें विभिन्न तरीक़ों से उचित सम्मान देते हुए क्रियाशील मार्गदर्शक के रूप में उनके गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व का उपयोग करना महत्त्वपूर्ण है। इससे निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और इन स्कूलों में कुछ बेहतरीन खेल हस्तियों, इंजीनियरों, सामाजिक वैज्ञानिकों, गीतकारों, डॉक्टरों और ऐसे कई अन्य पेशेवरों का निर्माण किया जा सकता है जिनसे हमारा देश गौरवान्वित हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार इन प्रावधानों पर विचार कर सकती है :

- इन स्कूलों के लिए सहायक स्टाफ़।
- विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के अनुसार नहीं, बल्कि कक्षा की आवश्यकता के अनुसार हर स्कूल में शिक्षक।
- दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्कूलों तक आने-जाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए परिवहन की सुविधाएँ।
- असम्बद्ध क्षेत्रों में स्थान और भोजन पर अनावश्यक रूप से ख़र्च करने और नियमित कक्षाओं के स्कूली बच्चों को शिक्षण से वंचित करने की बजाय, अच्छे शिक्षक मार्गदर्शकों को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्बन्धित स्कूलों में डेमो कक्षाएँ लेने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों के नियमित दौरे।

दूरदराज़ के स्कूलों में होनहार शिक्षकों और विद्यार्थियों की यह चिंगारी बाड़मेर में शिव और ऐसी कई अन्य जगहों पर आशा की मशाल जलाती है।

References

Singh, Padam and Satyendra Keshari (2016). Development of Human Development Index at District Level for EAG States. *Statistics and Applications*, Volume 14, Nos. 1 & 2, 2016 (New Series) pp. 43-61.

www.censusindia.gov.in/2011census/C-series/C08.html

www.india.gov.in

udise.in

डॉ. सास्वती पाइक अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलूरु में प्राध्यापक हैं। अपने शैक्षिक प्रशिक्षण के अनुसार सास्वती एक भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वे शोध के दो क्षेत्रों में रुचि रखती हैं : (i) वयस्क शिक्षा और उसकी प्रासंगिकता (ii) चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आपदा प्रवण हों, में स्कूलों की वास्तविकताओं की खोज और वर्तमान शैक्षिक नीतियों और अभ्यासों की प्रासंगिकता। अपने शोध के आधार पर उन्होंने कई प्रकाशन और प्रस्तुतियाँ दी हैं। उनसे saswati@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल